न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 164/2024 (GCMS: 2024/239)

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री छेलू सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह आयु 34 वर्ष जाति राजपूत निवासी गोपाल सिंह नगर, ग्राम पंचायत मोकलसर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, मोबाईल नम्बर 63769–35645

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी छेलू सिंह के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता एवं विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 18.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ टीम राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव प्रेमनगर ग्राम पंचायत मोकलसर तहसील सूरतगढ़ पर पहुंचे। मौका पर बीकानेर की ओर आ रही सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 को रूकने का इशारा किया गया लेकिन उक्त वाहन चालक द्वारा नाका तोड़ते हुए उक्त वाहन का पीछा किया गया तो वाहन एक कच्चे मार्ग से कंवर सैन लिफ्ट कैनाल नहर [illegible] भागते हुए अर्जुनसर के चौराहे पर पहुंचा गया, जहां [illegible] वाहन को रोका गया तथा पिकअप वाहन को छुड़ाने क[illegible]री दौरान वाहन चा[illegible]रा पिकअप को पुनः सूरतगढ़ की ओर भगाया ग[illegible] जिसका पीछा करते हुए टीम ने मैसर्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

महावीर पेट्रोलियम पम्प, गांव प्रेमनगर तहसील सूरतगढ के पास बमुश्किल रूकवाया गया। मौके पर उपस्थित वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 में वाहन चालक श्री छेलू सिह पुत्र श्री भंवर सिंह आयु 34 वर्ष जाति राजपूत निवासी गोपाल सिंह नगर, ग्राम पंचायत मोकलसर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर, उपस्थित मिला। मौके पर वाहन की जांच करने पर वाहन में 11 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 03 प्लास्टिक कैनी पायी गयी, जिनमें वाहन चालक द्वारा डीजल भरा हुआ बताया गया। मौका पर वाहन को सुरक्षा की दृष्टि से आगामी कार्यवाही हेतु पुलिस थाना राजियासर लाया गया। मौके पर उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 की जांच की गई। जांच करने पर वाहन में 11 प्लास्टिक ड्रम व 03 प्लास्टिक कैनियों मिली, जिमनें पेट्रोलिमय पदार्थ भरा हुआ पाया गया। पूछताछ करने पर श्री छेलू सिंह उक्त वाहन का उपयोग करते हुए पंजाब के पेट्रोल पंपों से सस्ते दामों पर डीजल क्रय कर मांग के अनुसार ग्राहकों को विक्रय किया जाना बताया गया है। मौके पर श्री छेलू सिंह, वाहन चालक की उपस्थिति में वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 में रखे ड्रम एवं कैनियों में उपलब्ध पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) का भौतिक सत्यापन करने पर प्रत्येक प्लास्टिक ड्रम में 220 लीटर एवं प्रत्येक कैनी में 50 लीटर डीजल होना पाया गया। इस प्रकार वाहन में कुल 2570 लीटर पाया गया। वाहन में उपलब्ध डीजल के खरीद संबधी बिल / रसीद तथा वाहन के पंजीकरण संबंधित को भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर छेलू रिंह ने पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण / परिवहन व बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र / अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर सैम्पल नमूना संबंधी कार्यवाही की गई। मौके पर अवैध रूप से डीजल के परिवहन / भण्डारण करने के कारण वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 मय 2570 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम व 03 प्लास्टिक कैनियों के जरिये फर्द मौका मय जब्ती जब्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **अप्रार्थी** द्वारा डीजल की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04** का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार से जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 मय 2570 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम व 03 प्लास्टिक कैनियों को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने अपनी बहस कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रेम नगर, ग्राम पंचायत मोकलसर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर में नाके के दौरान बीकानेर की ओर से आ रही वाहन पिकअप आरो 13 जीसी 5155 की जांच की गई, जिसमें 11 बडे प्लास्टिक ड्रम व 3 प्लास्टिक कैनी पाई गई तथा 2570 लीटर डीजल होना माना है जबकि उक्त प्रदार्थ डीजल न होकर स्वामी कैमिकल्स अर्जुनसर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर से अपनी कम्पनी मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रंक्शन कम्पनी के लिए 2470 लीटर खरीद किया गया है, जिसका बिल भी प्रार्थी छेलू सिंह द्वारा प्राप्त किया गया है, उक्त स्वामी कैमिकल्स के पास उक्त पदार्थ जो कि मिक्स हाईड्रो कार्बल ऑयल है, को खरीद व विक्रय करने का लाईसेंन्स है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्राथी द्वारा विधि विरूद्ध पंजाब या अन्य स्टेट से डीजल खरीदकर नहीं लाया जा रहा था बल्कि अपनी फर्म जो रंग पेंट से सम्बन्धित उत्पादक निर्माण का काम करती है, में प्रयोग होने वाले पदार्थ मिक्स हाईड्रो कार्बन ऑयल की खरीद [illegible] है, जिसकी मात्रा 2470 लीटर है, जिला रसद अधिका[illegible] 2570 लीटर दर्शाया गया है। मौका पर वास्तव [illegible] द्वारा कोई नापतोल नहीं किया गया है बल्कि कैनियों की मात्रा के आधार [illegible] यह तेल भूलवश लिखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त वाहन प्रार्थी के भाई पवन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर के नाम से है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अवैध परिवहन नहीं किया जा रहा था बल्कि नियमानुसार 2500 लीटर से कम मात्रा में **"बी" श्रेणी** का पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन किया जा रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई भागने का प्रंयास नहीं किया है बल्कि जिला रसद अधिकारी द्वारा बीकानेर के क्षेत्राधिकारी को श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकार में परिवर्तित करने के उद्देश्य से उसे अपने क्षेत्र में दर्शाया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि वाहन की आरसी व पेट्रोलियम पदार्थ के बिल मौका पर ही जिला रसद अधिकारी को दिखाये गये थे परन्तु उनके द्वारा प्रार्थी के दस्तावेजों पर विश्वास न कर यह प्रकरण गलत तथ्यों पर बनाया है। प्रार्थी को ना तो मौका पर विधि विरूद्ध खरीदते हुए व विक्रय करते हुए पाया गया ना ही सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जा रही है। इसलिए प्रार्थी के वाहन आरजे 13 जीसी 5155 व उसमें भरे हुए पदार्थ मात्रा 2470 लीटर को लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 18.10.2024 को अवैध पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच करने जिला रसद अधिकारी मय स्टाफ टीम राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव प्रेमनगर ग्राम पंचायत मोकलसर तहसील सूरतगढ पर नाका लगाया तो बीकानेर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप [illegible] आरजे 13 जीसी 5155 को रूकने का इशारा किया [illegible] द्वारा नाका तोड़ते हुए भागने का प्रयास किया, जिसका पीछा करते [illegible] टीम ने मैसर्स महावीर पेट्रोलियम पेट्रोल पंप गांव प्रेमनगर तहसील सूरतगढ के पास मुश्किल से रूकवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी छेलू सिंह से वाहन संख्या 13 जीसी 5155 में रखे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का भौतिक सत्यापन करने पर वह 2570 लीटर पाया गया है, जिसका उल्लेख फर्द मौका मय जब्ती में किया गया है, जिस पर अप्रार्थी छेलू सिंह ने स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है। **अप्रार्थी के अधिवक्ता जानबूझकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों से बचने हेतु 2570 के स्थान पर 2470 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ बताया जा रहा है जबकि मौके पर विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया था।**

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा जब्त शुदा 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) को स्वामी कैमिकल्स अर्जुनसर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर से अपनी कम्पनी मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रंक्शन कम्पनी से खरीद किया गया बताया गया है, और स्वामी कैमिकल्स के पास पेट्रोलियम पदार्थ के खरीद व विक्रय करने का लाईसेंन्स होना बताया है, परन्तु **अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता पवन सिंह पुत्र भंवर सिह को वाहन का स्वामी होना बताया गया है जबकि प्रकरण **में पवन सिंह अप्रार्थी के रूप में दर्ज नहीं है।** इसलिए अप्रार्थी के अधिवक्ता को सर्वप्रथम पवन सिंह पुत्र श्री भंवर सिह को प्रकरण में पक्षकार बनने की प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था, जो प्रकरण में पेश नहीं किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक (रसायन) क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर (राज.) [illegible] नी एफएसएल रिपोर्ट में जब्त शुदा पेट्रोलियम पदार्थ [illegible] 0.8322 एवं फ्लैश प्वाईंट 53 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है जो कि [illegible] ''ख'' श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 के वाहन चालक द्वारा छेलू सिंह पुत्र भंवर सिह से गाड़ी के दस्तावेज तथा पेट्रोल डीजल भण्डारण व बेचान सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पूछताछ पर उनके द्वारा पेट्रोल/डीजल बेचान के लाईसेंस/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी छेलू सिंह द्वारा बिना अनुमति अनुज्ञापत्र के उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 द्वारा पंजाब से डीजल क्रय कर सूरतगढ में उपभोक्ताओं से राशि वसूल कर बेचना करना **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 की स्पष्ट उल्लंघना किये जाने के कारण, उससे** जब्तशुदा 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) मय 11 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 03 प्लास्टिक कैनी एवं वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी छेलू सिंह के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 18.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ टीम राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव प्रेमनगर ग्राम पंचायत मोकलसर तहसील सूरतगढ़ पर पहुंचे। मौका पर बीकानेर की ओर आ रही सफेद रंग की पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 को रूकने का इशारा किया गया लेकिन उक्त वाहन चालक द्वारा नाका तोड़ते हुए उक्त वाहन का पीछा किया गया तो वाहन एक कच्चे मार्ग से कंवर सैन लिफ्ट कैनाल नहर के पटरी मार्ग से होते हुए अर्जुनसर के चौराहे पर पहुंचा गया, जहां भीड़ द्वारा वाहन को रोका गया तथा पिकअप

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वाहन को छुड़ाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान वाहन चालक द्वारा पिकअप को पुनः सूरतगढ़ की ओर भगाया गया, जिसका पीछा करते हुए टीम ने मैसर्स महावीर पेट्रोलियम पम्प, गांव प्रेमनगर तहसील सूरतगढ के पास रूकवाया गया। मौके पर उपस्थित वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 में वाहन चालक श्री छेलू सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह आयु 34 वर्ष जाति राजपूत निवासी गोपाल सिंह नगर, ग्राम पंचायत मोकलसर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर, उपस्थित मिला। मौके पर वाहन की जांच करने पर वाहन में 11 बड़े प्लास्टिक ड्रम व 03 प्लास्टिक कैनी पायी गयी, जिनमे वाहन चालक द्वारा डीजल भरा हुआ बताया गया। मौका पर वाहन को सुरक्षा की दृष्टि से आगामी कार्यवाही हेतु पुलिस थाना राजियासर लाया गया। मौके पर उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 की जांच की गई। जांच करने पर वाहन में 11 प्लास्टिक ड्रम व 03 प्लास्टिक कैनियों मिली, जिनमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। पूछताछ करने पर श्री छेलू सिंह उक्त वाहन का उपयोग करते हुए पंजाब के पेट्रोल पंपों से सस्ते दामों पर डीजल क्रय कर मांग के अनुसार ग्राहकों को विक्रय किया जाना बताया गया है। मौके पर श्री छेलू सिंह, वाहन चालक की उपस्थिति में वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 में रखे ड्रम एवं कैनियों में उपलब्ध पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) का भौतिक सत्यापन करने पर प्रत्येक प्लास्टिक ड्रम में 220 लीटर एवं प्रत्येक कैनी में 50 लीटर डीजल होना पाया गया। इस प्रकार वाहन में कुल 2570 लीटर पाया गया। वाहन में उपलब्ध डीजल के खरीद संबधी बिल/रसीद तथा वाहन के पंजीकरण संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर छेलू सिंह ने पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण [illegible] व बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया। मौके [illegible]ना संबंधी कार्यवाही की गई। मौके पर अवैध रूप से डीजल के परिवहन/भण्डारण करने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 मय 2570 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम व 03 प्लास्टिक कैनियों को जरिये फर्द मौका मय जब्ती जब्त किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **अप्रार्थी** द्वारा डीजल की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04** का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार से जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 मय 2570 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक ड्रम व 03 प्लास्टिक कैनियों को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी छेलू सिंह पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः—

> **''जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य** दस्तावेज है उसी पर होगा।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से **पाया** [illegible] वाह[illegible] [illegible]ख्या आरजे 13 जीसी 5155 में जब्त किया गया 2570 लीटर पेट्रोलियम [illegible] स्वामी कैमिकल्स, बीकानेर द्वारा मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रंक्शन कम्पनी [illegible]**ल/इन्वॉईस संख्या 11 दिनांक**

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

18.10.2024 राशि 1,19,498.60/— के द्वारा विक्रय किया गया है प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि स्वामी कैमिकल्स के पास उक्त पदार्थ जो कि मिस्स हाईड्रो कार्बल ऑयल है, को खरीद व विक्रय करने का लाईसेंस है जबकि उनके द्वारा मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन के पास लाईसेंस है अथवा नहीं? का उल्लेख नहीं किया है, जिससे प्रतीत होता है कि मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन के पास लाईसेंस नही है। प्रार्थी के अधिवतक्ता के स्वयं के कथनानुसार स्वामी कैमिकल्स, अर्जुनसर तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर को उक्त पदार्थ जो कि मिक्स हाईड्रो कार्बल ऑयल है, को खरीदने व स्टोरेज की लाईसेंस परमिशन है जिसके लाईसेंस की प्रति अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेश नहीं की गई है। पत्रावली में उपलबध बिल/इन्वोईस नं. 11 दिनांक 18.10.2024 राशि 1,19,498.60/— के अनुसार स्वामी कैमिकल्स द्वारा उक्त 2470 लीटर मिक्स हाईड्रो कार्बन ऑयल मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन को बेचान किया गया है मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रंक्शन कम्पनी के पास खरीदने/भण्डारण का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र है अथवा नहीं?, के सम्बन्ध में अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और न ही स्वामी कैमिकल्स को मिक्स हाईड्रो कार्बन ऑयल खरीदने एवं बेचने के किसी अनुज्ञापत्र प्रति पेश की है। इसलिए स्वामी कैमिक्ल्स के पास कोई वैद्य अनुज्ञापत्र होने की भी पुष्टि नहीं होती है।

अप्रार्थी स्वामी कैमिकल्स एवं मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन के पास पैट्रोलियम पदार्थ विक्रय करने का कोई वैद्य अनुज्ञापत्र नही है, जिससे भी यह साबित होता है कि जब्तशुदा समस्त वाहन अप्रार्थी अवैध रूप से परिवहन के कार्य में लिप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अप्रार्थीगण के कब्जे से वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 में **स्वामी कैमिकल्स के द्वारा विक्रय का अनुज्ञा पत्र न होने के बावजूद 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय किया गया** है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बिल के आधार पर स्वामी कैमिकल द्वारा **मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन** को उक्त 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय किया गया है। जिसे उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ पर स्वामी कैमिकल्स का स्वामित्व नहीं होकर क्रय करने वाली फर्म **मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन** का हो जाता है। साथ ही **स्वामी कैमिकल्स के पास उक्त पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय करने का एवं मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन के पास उक्त मात्रा में उक्त तरल पदार्थ क्रय / विक्रय / भण्डारण / परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही** है। जबकि राज्य सरकार ने अनुज्ञापत्र जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 05.10.2006 को निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये है :

(13) क्रमांक : एफ.17(1)खा.वि. / विधि / 2000—1,

जयपुर, 5 अक्टूबर, 2006

दिशा—निर्देश द्वारा विशिष्ट शासन सचिव व अति. खाद्य आयुक्त वास्ते समस्त जिला कलेक्टर्स / जिला रसद अधिकारी, राजस्थान सॉल्वेंट जैसे ज्वलनशील उत्पादों से कारित होने वाली संभावित दुर्घटनाओं के बचाव हेतु एवं भविष्य में सॉल्वेन्ट रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के तहत जारी किए जाने वाले अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में तथा व्यापार एवं भण्डारण स्थल से सुरक्षित होने की सुनिश्चतता करने के लिए निम्न दिशा—निर्देश जारी किए जाते है:

1. आवेदन पत्र में प्रस्तावित व्यापार / भण्डारण स्थल से 300 मीटर के रेडियस में किसी प्रकार की [illegible] रहवासी मकानात नहीं हो

....

12. यदि 2500 लीटर तक भंडारण [illegible]ता के अनुज्ञापत्र जारी किये जाते है, तो अनुज्ञापत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदन पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उल्लेखित व्यापार एवं भण्डारण स्थल के लिए जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

13. जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व पुलिस विभाग सम्बन्धित नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका/ग्राम पंचायत तथा रसद विभाग की रिपोर्ट प्राप्त की जावें, कि आवेदन पत्र में प्रस्तावित व्यापार/भण्डार स्थल हेतु सुरक्षित है।

14. बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला कलेक्टर/अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्राधिकृत अधिकारी होंगे। जिला रसद अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापत्र जारी करेंगे।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे। इस हेतु सॉल्वेन्ट अनुज्ञापत्र धारकों के व्यापार/भंडारण स्थल की सघन जांच करावें तथा अनुपयुक्त व्यापार स्थल व अवैध कारोबार की रोकथाम हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इस प्रकार अप्रार्थी उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 का प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में लगातार कर रहे है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में प्रयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये निर्देशों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) की स्पष्ट उल्लंघन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक निदेशक (रसायन) क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.01.2025की जाचं रिपोर्ट निम्नानुसार है:

Result of Examination

On physico – chemical analysis

1. **The liquid sample contained in the bottle marked A did not confirm the BIS specification of :**
   (a) **Petrol (IS-2796) in respect of distillation characteristics and density at 15^{0}C**
   (b) **Diesel (IS -1460) in respect of distillation charactheistics.**
2. **On the basis of Distillation Characteristics, the above liquid sample was found to be of petroleum hydrocarbon fractions having density 0.8322 at 15^{0}C and flash point 53^{0}C**

विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 का बिन्दु संख्या 12 निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

विलायको के वर्गीकरण के सम्बन्ध में –स्पष्टीकरण

पत्रांक पी–3 / जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट व उपयुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग

आपके पत्र क्रमांक रसद / 2002 / 549 दिनांक 06.05.2002 द्वारा चाही गई जानकारी निम्नलिखित है:

1. पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ जिसक फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.गे. से नीचे होता है वह सभी वर्ग क में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 93 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है। ....

   ....

   पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट / एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईंट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।
2. उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थो के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

   ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

सहायक निदेशक (रसायन) क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ का फ्लैश प्वाईंट 53^0 से.ग्रे. है जो कि पेट्रोलियम वर्ग ''ख'' श्रेणी में आता है जिसे अप्रार्थी के अधिवक्ता ने भी सही माना है। विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के अनुसार पेट्रोलियम वर्ग ''ख'' का 2500 लीटर तक भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है, जबकि अप्रार्थी द्वारा 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (वर्ग ख) का भण्डारण एवं परिवहन किया जा रहा था।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त 2570 तरल पदार्थ जो स्वामी कैमिकल्स के द्वारा मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन को विक्रय किया गया है का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1) के अनुसार 2500 लीटर तक पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) के किया जा सकता है इससे अधिक भण्डारण करने हेतु अनुज्ञप्ति(License) का होना आवश्यक है जबकि स्वामी कैमिकल्स द्वारा विक्रय हेतु अधिकृत अनुज्ञप्ति(License) न होने के बावजूद भी मैसर्स एम. एस. कन्स्ट्रक्शन को विक्रय किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन, जिसके द्वारा उक्त तरल पदार्थ क्रय किया गया है, के पास भी किसी प्रकार की कोई क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने की कोई अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इसलिए इससे यह स्पष्ट है कि वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन के साथ अवैध कारोबार में लिप्त है। इसलिए उक्त अप्रार्थीगण से जब्तशुदा उक्त वाहन पिकअप संख्या आरजे 13 जीसी 5155 मय 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के राजसात करने योग्य ठहरते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(1), मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 की धारा 02(क्यू)(आर), 3(4)(6), 04 के प्रावधानों की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं पिकअप वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 भी राजसात किये जाते है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क का परन्तु निम्न प्रकार से अवलोकनीय हैः

> परन्तु यह और कि भाडे पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशु, गाडी यान या अन्य प्रवहण के स्वामी को, उसका अधिहरण किए जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशु गाड़ी यान या अन्य प्रवहण द्वारा ले जाई जाने वाली आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की तारीख को बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय (pay) करने का विकल्प दिया जाएगा।

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन पैट्रोलियम पदार्थ के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क के परन्तुक एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 [illegible] 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में [illegible] के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 का अनुमानित बाजार भाव 6.90 लाख रूपये है। इसलिए वाहन पर 6.50 लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ की विक्रय राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग—अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

अति. आयुक्त / उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्य कर, श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:37:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

तहत कोई कार्रवाई हो तो वह अलग से जारी रखे। अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर ही वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें।

चूंकि उक्त प्रकरण 2570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं उक्त वाहन संख्या आरजे 13 जीसी 5155 राजसात करने के आदेश दिये गये है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क के परन्तु एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन पर 6.50 लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया गया है जो जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये गये है। अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बिल में अंकित विक्रेता फर्म स्वामी कैमिकल्स एवं क्रेता फर्म मैसर्स एम.एस. कन्स्ट्रक्शन की अपने विभागीय स्तर पर जांच कर, जांच रिपोर्ट 15 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो उसे इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखा जावे। इस आदेश की प्रति अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर